an>

Title: Regarding compensation to the families who lost their life due to leakage in gas cylinder.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदया, आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सदन का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के पूर्वी चम्पारण जिले के अन्तर्गत मधुबन प्रखण्ड के मधुबन ग्राम में एच.पी. गैस सिलेंडर की लीकेज के कारण एक ही परिवार की चार महिलाओं की मृत्यु की घटना की ओर आकृÂष्ट कराना चाहती हूँ। आम गृहणियों की तकलीफों को दूर कर उन्हें सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारी सरकार घर-घर तक एल.पी.जी. गैस कनेक्शन के आवंटन के लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है, परन्तु उक्त घटना की तरह गैस सिलेंडर का लीकेज होना गम्भीर समस्या है। विदित हो कि गैस सिलेंडर की लीकेज होने के कारण श्री शंकर प्रसाद (कंज्यूमर संख्या-601550) के परिवार की चार महिलाएं, सुश्री प्रिया कुमार, उम्र 19 वÂर्ष, पिता श्री शंकर प्रसाद, सुश्री प्रियंका कुमारी, उम्र 20 वÂर्ष, पिता श्री शंकर प्रसाद, श्रीमती सुनीता देवी, उम्र 45 वÂर्ष, पति श्री शंकर प्रसाद एवं श्रीमती संजू देवी, उम्र 42 वÂर्ष, पति श्री संजय शाह के शरीर में आग लग गई, जिसके बाद क्रमशः दिनाँक 02.06.2016, 04.06.2016, एवं 07.06.2016 को पटना एवं दिल्ली में उपचार के क्रम में मृत्यु हो गई। परन्तु अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि विपत्ति की इस घड़ी में भी पीड़ित परिवार को अब तक सरकार द्वारा कोई मुआवजा नहीं मिला है।

अतः सदन के माध्यम से पेट्रोलियम एंव नेचुरल गैस मंत्रालय के माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उक्त घटना को अपने संज्ञान में लेते हुए उपरोक्त पीड़ित परिवार को समुचित मुआवजे की राशि यथाशीघ्र मुहैया कराने और साथ ही साथ कम्पनी द्वारा बरती गई लापरवाही की भी जाँच की जाए, जिससे कि भविÂष्य में इस तरह की घटना को घटने से रोका जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती रमा देवी जी द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।